मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी,
भोपाल – 462016
फोनः 0755–2463585, 2430154, फैक्सः– 0755–4004137
ई मेलः– secretary@mperc.nic.in वैबसाईटः– www.mperc.in

क्रमांक मप्रविनिआ/संचा. (एल.एण्ड.आर.)/2024/828 **भोपाल, दिनांक 28.03.2024**

: सार्वजनिक सूचना :

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री कुसुम) योजना के घटक 'अ' के अंतर्गत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक, या अन्य ऐसी क्षमतायें जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत होंगी, के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली की बिक्री के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ई), धारा 61(एच) के तहत प्री–फिक्सड लेवलाईज्ड टैरिफ के निर्धारण के लिए एक याचिका दायर की है।

याचिका में लाईफ ऑफ प्लांट, कैपिटल कॉस्ट, सी.यू.एफ. आदि ऑपरेटिंग और वित्तीय मापदंडों का उल्लेख किया गया है। याचिका में प्रस्तावित मापदंडों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा 3.22रू./यूनिट प्री–फिक्सड लेवलाईज्ड टैरिफ की मांग की गई है।

आयोग ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और याचिका संख्या 13/2024 के रूप में पंजीकृत है। उक्त याचिका का प्रारुप आयोग की वेबसाईट **www.mperc.in** और मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की वेबसाईट **www.mprenewable.nic** पर उपलब्ध है।

वे व्यक्ति, जो उक्त याचिका के प्रारूप पर अपने सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत करना चाहें, लिखित में आयोग सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को दिनांक **18.04.2024** तक प्रेषित कर सकते हैं। सुझाव/आपत्तियॉ/टीप ई–मेल से **secretary@mperc.nic.in** पर अथवा **directorlnrmperc@gmail.com** या फैक्स से फोन क्रं. **0755–4004137** पर भी प्रेषित किये जा सकते हैं। उपरोक्त प्रस्तावित याचिका के प्रारूप की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस को, दिनांक **18.04.2024** तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य आयोग कार्यालय से रू. 15/–(प्रति सेट) के नगद भुगतान द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह प्रति डाक द्वारा रु. 50/–(रू. 15/– प्रति सेट + रू. 35/–डाक व्यय हेतु) का भुगतान करने पर भी प्राप्त की जा सकती है।

आयोग द्वारा दिनांक **30.04.2024** को प्रातः **11.00** बजे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपने मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. की सूचना आयोग को देकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वैबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव